न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/07/2019	12–02–2019	19–06–2019

1– बालसिंह पुत्र स्व0 उग्र सिंह
2– लाल सिंह पुत्र स्व0 उग्र सिंह
3– सीताराम सिंह पुत्र स्व0 उग्र सिंह
4– नन्दू सिंह पुत्र श्री यशवंत सिंह
5– घनश्याम सिंह पुत्र श्री यशवंत सिंह
6– गोपाल सिंह पुत्र श्री यशवंत सिंह
7– लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिम्भू सिंह
8– त्रिलोक सिंह पुत्र श्री शिम्भू सिंह
9– प्रेम देवी पत्नि स्व0 हरिसिंह
10– मुन्शी देवी पत्नि मन्जू सिंह
11– रविन्द्र सिंह पुत्र मन्जू सिंह
12– नीतू बाई पुत्री मन्जू सिंह
13– बजरंग सिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह
14– अशोक सिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह
15– रेखा कॅवर पुत्री स्व0 हरिसिंह
16– मदन सिंह पुत्र मेघ सिंह
17– भवानी सिंह पुत्र मेघसिंह
18– रूप सिंह पुत्र मेघसिंह
19– विक्रम सिंह पुत्र सुलतान सिंह
20– मन्नू सिंह पुत्र सुलतान सिंह
21– मुरली सिंह पुत्र सुलतान सिंह जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– तहसीलदार बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर आराजी ख0 नं0 600 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर दिनांक 23.08.2018

उपस्थितः–

01\. श्री जितेन्द्र शर्मा –वकील अपीलान्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 23.08.2018 जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर को अतिक्रमण मुक्त कराकर मौके पर रास्ता चालू किया गया है। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर में स्थित है। उक्त आरजी का साबिक खसरा नम्बर 499 रकबा 6 बिस्वा तथा इससे पूर्व साबिक खसरा नम्बर 69 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा था। अपीलांट की बुजुर्गों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। अपीलांटान के बुजुर्गों का नाम साबिक रिकॉर्ड में दर्ज है। बुजुर्गों के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

समय से ही काश्त होती आ रही है। विवादित आराजी में कोई रास्ता नहीं है। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया हुआ है। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सवत् 2017 में उक्त आराजी की किस्म बारानी भूड़ दोयम दर्ज है। गिरदावरी संवत् 2018–21 में फसल बाजरा, मूंग, चौला, ग्वार आदि अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा की किस्म गैरमुमकिन रास्ता नहीं है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी बाबत एक मौका पर्चा दिनांक 23.08.2018 को बनाया जिसमें विवादित आराजी को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर रास्ता मौके पर चालू किया जाना अंकित किया है। जो सरासर गलत है। क्योंकि दिनांक 23.08.2018 को मौके पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल मौके पर रैस्पो0 द्वारा रास्ता निकालने की धमकी दी थी। विवादित आराजी में आज भी कोई रास्ता नहीं है और ना कभी कोई रास्ता था। विवादित भूमि पर आज भी काश्त हो रही है। उक्त मौका पर्चा रैस्पो0 द्वारा कार्यालय में बैठकर बनाये गये है। जिसकी आड़ में उक्त विवादित आराजी में से रास्ता निकालने की जूस्तजु में है। विवादित आराजी अपीलांट की रिकॉर्डेड कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और उसी पर अपीलांट का ही अतिक्रमण बताया जा रहा है जो हास्यास्पद है। यदि उक्त आराजी में से जबरन रास्ता कायम किया गया तो अपीलांट को नापूर्ति क्षति होगी। रैस्पो0 द्वारा उक्त कार्यवाही गलत तरीके से अपीलांट को बिना सुने ही की है जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 06.01.2019 को हुई। जिस पर दिनांक 08.01.2019 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश की गई है। उक्त संबंध में दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार बानसूर द्वारा बनाया गया मौका पर्चा आदेश दिनांक 23.08.2018 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 23.08.2018 के विरूद्ध दिनांक 12.02.2019 को पेश की गई। जो करीब 5 माह के विलम्ब से पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर सहानुभूति रखते हुए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि मौका पर्चा दिनांक 20.07.2018 में खसरा नम्बर 600 रकबा 0.08 है0 व 604 रकबा 0.06 है0 गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी मुताबिक रिकॉर्ड बताया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त मौके पर्चा दिनांक 23.08.2018 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। जबकि उक्त मौका पर्चा अनुसार दिनांक 23.08.2018 को अतिक्रमण मुक्त कर कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त मौका पर्चा निरस्त किया जाना सम्भव नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)